

मू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन  
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

29/19

अभिभावक अर्पीला/ रेस्यो उपस्थित।  
अतः पत्रावली पत्रों को रेस्यो अपील  
दिनांक 3.10.19 को पेश हो।

4.9.19

रेस्यो. के प्रापत्र पर पत्रावली पेशी पर ली गई। इस प्रापत्र में रेस्यो. ने जोर दे कर विवेदन किया है कि नहर आयालय द्वारा दि. 2.9.19 को मूल वाद निर्णित कर दिया गया है। अतः अस्थायी निवेद्याता की यह अपील निष्प्रभावी हो गई है। लिहाजा अपील खारिज की जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। विद्याच वकील रेस्यो. ने अपने प्रापत्र के साथ नहर आयालय द्वारा मुकदमा नं. 272/06 में पारित निर्णय दि. 2.9.19 की प्रमाणित प्रति पेश की है, जिसके अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित भूमि की वाक्य पेशा मूल वाद निर्णित होकर खारिज हो चुका है।

चूंकि जब मूल वाद ही निर्णित हो चुका है तो ऐसी स्थिति में अस्थायी निवेद्याता की यह अपील इन्फेक्चस हो चुकी है।

अतः अपील इन्फेक्चस (प्रभावहीन) होने के कारण खारिज की जाती है। पत्रावली कैसल अमार हो।

मू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन  
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर